



बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में प्राध्यापक के कुल-13 (तेरह) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

क्र. सं.	विज्ञापन संख्या	विभाग का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		पिछड़े वर्गों की महिलाएं	कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (2%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद	दिव्यांग हेतु आरक्षित (4%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद
			कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या				
1.	10/2026	भौतिकी	02	00	01	00	00	00	02	00	01	00	00	00	00	06	-	-
																00		
2.	11/2026	रसायन	02	00	01	00	00	00	02	00	01	00	01	00	00	07	-	-
																00		
कुल			04	00	02	00	00	00	02	00	02	00	01	00	00	13	-	-
																00		

नोट:-अध्यायी विभाग द्वारा प्राप्त अध्यायचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान :- वेतन लेवल 14 (प्रवेश वेतन -रु० 1,44,200/-)

3. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	अर्हता	अनुभव
1.	भौतिकी	भौतिकी में पीएचडी डिग्री तथा भौतिकी में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष। Ph.D degree in Physics and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in Physics.	(i) शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष सह प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद पर होना चाहिए। (ii) Minimum of 10 years of experience in teaching/research/industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor. नोट:-शिक्षण/शोध/उद्योग में सह प्राध्यापक के वेतन स्तर (लेवल-13 ए1) के पद का अनुभव मान्य होगा। 10 वर्षों के अंतर्गत शेष 7 वर्षों का शिक्षण/शोध/उद्योग में सहायक प्राध्यापक के वेतन स्तर-10 के पद का अनुभव मान्य होगा। और (and) (ii) एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में सह प्राध्यापक के स्तर पर न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन तथा प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम 2 सफल पीएच.डी. मार्गदर्शन। (ii) At least 6 research Publications at the level of Associate Professor in SCI journals/UGC/ AICTE approved list of journals And at least 2 Successful Ph.D guided as Supervisor/co-supervisor till the date of eligibility of promotion. अथवा प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में सह प्राध्यापक के स्तर पर न्यूनतम 10 शोध प्रकाशन। Or At least 10 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals/UGC/ AICTE approved list of journals till the date of eligibility of promotion.
2.	रसायन	रसायन में पीएच.डी. डिग्री तथा रसायन में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष। Ph.D degree in Chemistry and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in Chemistry.	

5

- नोट:—(i) यूजीसी एवं AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मानविकी एवं विज्ञान विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगा।
- (ii) पूर्व की सेवा एवं अनुभव के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 की कंडिका-2.25 में निर्धारित प्रावधान एवं शर्तें लागू होंगे।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगी।
4. उम्र सीमा — दिनांक 01.08.2026 को इच्छुक उम्मीदवारों/आवेदकों की उम्र न्यूनतम 32 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है।
5. चयन का आधार —निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा, जिसके लिए वेटेज स्कीम निम्नवत होगा:—

कुल वेटेज -100 (Total Weightage-100)		
अकादमिक पृष्ठभूमि (वेटेज-20) Academic Background (Weightage-20)	अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज-60) (अभियंत्रण, मानविकी एवं विज्ञान) Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching skill. (weightage-60) (Engineering, Humanities and science)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-20) Viva-voce (weightage-20)
<p>(a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in M.Sc/M.A in relevant branch)</p> <p>(b) Maximum 5 (5% of Percentage Marks obtained in B.Sc (Hons)/B.A (Hons).</p> <p>(c) Ph.D-05</p>	<p>(a) शोध प्रकाशन- (वेटेज-20 अधिकतम)</p> <p>(a) Research Publication- (Weightage-20 Maximum)</p> <p>(b) संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण- (वेटेज-10 अधिकतम)</p> <p>(b) Seminar Presentation (Weightage-10 Maximum)</p> <p>(c) स्पोनसर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट/परियोजना-(वेटेज-10 अधिकतम)</p> <p>(c) Sponsored Research Project/- (Weightage -10 Maximum)</p> <p>(d) अनुसंधान मार्गदर्शन एम.फिल., एम.ई., एम.टेक.-(वेटेज-10 अधिकतम)</p> <p>(d) Research Guidance (M.phil, M.E, M.Tech.)- (weightage-10 Maximum)</p> <p>(e) पीएच.डी. गाईड- (वेटेज-10 अधिकतम)</p> <p>(e) Ph.D guidance-(Weightage- 10 Maximum)</p> <p>नोट:—</p> <ul style="list-style-type: none"> संदर्भित जर्नलस-3 प्रति प्रकाशन Referred Journals-3 each Publications गैर-संदर्भित परंतु मान्य एवं जाने-माने जर्नलस तथा पिरियोडिक, जिनके आई.एस.वी.एन./आई.एस.एस.एन. नम्बर हो-2 प्रति प्रकाशन Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number-2/Publication पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोष्ठी/सम्मेलन की कार्यवाहियों (सार सम्मिलित न किया जाए)– अंतराष्ट्रीय 5 प्रति प्रकाशन राष्ट्रीय 2.5 प्रति प्रकाशन seminar/conference proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included)- international- 5/publication National- 2.5/publication. पाठक या संदर्भ पुस्तकें, जिन्हें अंतराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी-मानी पीयर रिव्यू प्रणाली द्वारा प्रकाशित किया गया हो जिनके आई0एस0बी0एन0/ आई0एस0एस0एन0 नम्बर हो– एक मात्र लेखक द्वारा 5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 1 प्रति अध्याय Text Reference Books Published by International Publishers having ISBN/ISSN Numbers with an established peer review system- by sole author- 5/Chapter, in edited books- 1/Chapter केन्द्र सरकार के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें जिनकी आई0एस0बी0एन0/आई0एस0एस0एन0 संख्या हो– एक मात्र लेखक द्वारा 2.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तकें में 0.5 प्रति अध्याय। Subject Books by National/State level publishers and Central Government Publications with ISBN/ISSN Numbers-By sole author 2.5/Chapter In edited Books-0.5/Chapter आई0एस0बी0एन0/आई0एस0एस0एन0 संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें– एक मात्र लेखक द्वारा 1.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तकों में 0.25 प्रति अध्याय Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Numbers- By sole author-1.5/Chapter In edited Books-0.25/Chapter ज्ञान आधारित खंडों में अध्यायों का संपादन योगदान (अंतराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित जिनके आई0एस0बी0एन0/आई0एस0एस0एन0 नम्बर हो)– 2 प्रति अध्याय 	

	<p>Chapters contribution to edited knowledge based volumes (published by International Publishers) having ISBN/ISSN no.) 2/Chapter</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित खंडों में अध्याय (जिनके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबरों सहित आईएसबीएन/आईएसएन नंबर हो) -1 प्रति अध्याय <p>Chapters in knowledge based volumes Published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories-1/Chapter</p> <p>PROJECTS</p> <ul style="list-style-type: none"> 30.0 लाख रुपये से ऊपर के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएं- 1.5 प्रति परियोजना Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project-1.5 Weightage 5.0 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएं- 1.0 प्रति परियोजना Major projects amount mobilized with grants above Rs.5 Lakh up to 30.0 Lakh Each Project-1.0 Weightage लघु परियोजनाएं (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली लघु परियोजनाएं) -0.5 प्रति परियोजना Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project-0.5 Weightage केन्द्र तथा राज्य स्तर के सरकारी निकायों के बृहद नीतिगत दस्तावेज पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया- 5.0 प्रति अंतरराष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट 3.0 प्रति राष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट Major policy document of Government Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/ Process 5.0 for Each one of International level 3.0 for Each Output/Patent of National level अनुसंधान मार्गदर्शन (RESEARCH GUIDANCE)- केवल डिग्री (एम.फिल./एम.ई./एम.टेक) प्रदान की गई-1.5 प्रति अभ्यर्थी Degree awarded only (M.Phil/M.E./M.Tech)- 1.5/each Candidate केवल डिग्री (पीएच.डी) प्रदान की गई-2.5 प्रति अभ्यर्थी Degree (Ph.D) awarded- 2.5/Each Candidate शोध प्रबंध जमा किया गया- 1.5 प्रति अभ्यर्थी Thesis submitted 1.5/Each Candidate निम्नलिखित में अनुसंधान पत्रों (मौखिक/पोस्टर) की भागीदारी तथा प्रस्तुतिकरण Participation and Presentation of Research papers (Oral/Poster) as follows: (क) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन- 4.0 प्रति अनुसंधान पत्र। (a) International Conference 4/Each Research Paper (ख) राष्ट्रीय - 2 प्रति अनुसंधान पत्र। (b) National- 2/Each Research Paper (ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर- 1 प्रति अनुसंधान पत्र। (c) Regional/State level- 1/Each Research Paper (घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर- 0.5 प्रति अनुसंधान पत्र। (d) Local University/College level- 0.5/Each Research Paper 	
--	---	--

नोट:- (i) नोट:- बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।

(ii) साक्षात्कार हेतु दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(iii) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अध्याचित रिक्तियों के पाँच गुणा होगी।

6. आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन/साक्षत्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-06.03.2026 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:- (a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका

दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(b) आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

- (i) मैट्रिक या समतुल्य का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
- (ii) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iii) स्नातक अंक पत्र (वर्षवार/सेमेस्टरवार) (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iv) निष्णात डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (v) निष्णात का अंक पत्र (वर्षवार/सेमेस्टरवार) (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

नोट:— संबंधित विश्वविद्यालय से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र कि **Bachelor's and Master's degree** केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि के आलोक में प्राप्त की गई है।

(vi) पीएच.डी. प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

नोट:— पीएच.डी. की उत्तीर्णता तिथि स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में पीएच.डी. उत्तीर्णता संबंधी अधिसूचना (Notification) तथा संबंधित विषय/विभाग की अस्पष्टता की स्थिति में अधिसूचना (Notification)/कोर्स-वर्क प्रमाण पत्र/ पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) यूजीसी एवं AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से विज्ञान विषय के लिए **Distance Mode/Open University** से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र।

(viii) अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र में **Bachelor's and Master's degree** उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में **CGPA** एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संबंधी प्रमाण पत्र।

(ix) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमन के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत विज्ञापन की कंडिका-3(अनुभव) एवं विज्ञापन की कंडिका-5(वेटेज) के अनुरूप प्रमाण पत्र। (अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 की कंडिका-2.25 के आलोक में दावा किये गये अनुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र/प्रोन्नति पत्र, प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन, सैलरी स्लिप/आई.टी.आर. की प्रति समर्पित किया जाना आवश्यक होगा)।

(x) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र)।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र)।

(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।

(xiii) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।

ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/**Civil Surgeon/CMO** से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(xiv) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

(xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा की आवेदन में दावा किया हो।

(xvii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।

(xviii) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।



7. शुल्क:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क - 100/- (एक सौ रुपये)।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:-वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	12.02.2026
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	06.03.2026

(ii) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) सभी उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक होगी। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं वेटेज संबंधी दावों को सत्य मानते हुए दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार आयोजित करने की कार्यवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

9. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

A. One Time Registration (OTR)

- BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
- OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
- भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
- OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
- OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।
- जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
- एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
- जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुँचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: <https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login> पर Login करेंगे।

नोट:-

- OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-

- (i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।
- (iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

- Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)
- Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)
- Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)
- Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)
- Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)
- Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

- Step 1:** व्यक्तिगत जानकारी : इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 2:** पता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 3:** अन्य जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 4:** योग्यता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 5:** अनुभव संबंधी जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 6:** फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक: इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150-220 Pixel के बीच और Height 250-320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोट:-

- (i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।
- (ii) Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।
- (iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION

- (i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेंगे, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।


- (iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

E. MY ACCOUNT TAB

- (i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
- (ii) यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना चाहता है, तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

f

- (v) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID एवं Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID एवं Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- Note:-** यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।
10. महत्वपूर्ण निर्देश :-
- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
11. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
12. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं जर्नल्स संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
15. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।



परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।